

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हप्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता. 02/11/17 मे तक

केस का प्रकार 1A Misc. Case No. 82/17-18

आ
व
का
द
f

आदेश पत्रक
संख्या क्रम
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

22.8.17
02/11/17

आवेदक/अपेक्षी... भूमेला महतो पिता/पत्नी...
स्व. मुनीराम महतो अ0जाति/अ0ज0जाति/अ0पि0 वर्ग/उपजाति...
मुनीराम महतो ग्राम-पम्प रोड चक्रधरपुर राजस्व थाना-चक्रधरपुर
चक्रधरपुर जिला- प0 सिंहभूम ने क्रेता-भूमेला महतो
चक्रधरपुर अंचल-चक्रधरपुर अ0जाति/अ0ज0जाति/अ0पि0
चक्रधरपुर पिता-चक्रधरपुर महतो
चक्रधरपुर वर्ग/उपजाति-चक्रधरपुर के अंतर्गत ग्राम-पम्प रोड चक्रधरपुर
चक्रधरपुर /राजस्व थाना-चक्रधरपुर के अंतर्गत अंचल-चक्रधरपुर
चक्रधरपुर जिला-प0 सिंहभूम के पास जमीन बिक्री/भू-हस्तान्तरण हेतु छोटानागपुर
 काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत
 अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है जमीन का विवरण है।

मौजा	थाना सं.	थाना	खाता नं.	प्लॉट सं.	रकबा
वाडी-16 चक्रधरपुर		चक्रधरपुर	169	519	0.03 ए.

आवेदक को इजाजत की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का
 रकबा 0.03 ए. की कुल कीमत 30000.00/- रुपये मात्र में छोटानागपुर
 काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत बिक्री
 करना चाहते हैं।

आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी-चक्रधरपुर से अपना जांच
 प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित दिनांक 5/8/17 तक मांग करें।

अभिलेख दिनांक 6/8/17 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

22/8/17

भूमि सुधार उप समाहर्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

22/8/17

भूमि सुधार उप समाहर्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

३०.१.१८

अभिलेख उपस्थापित । जांच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर से निर्धारित अवधि में अप्राप्त है। क्रेता एवं विक्रेता के द्वारा स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी नहीं दी गई। इससे प्रतीत होता है कि क्रेता एवं विक्रेता को भूमि/क्रय-विक्रय/भूमि हस्तांतरण में कोई अभिरूची नहीं रह गई है। नियमानुसार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" की कार्रवाई 90 दिनों के अन्दर निष्पादित करना है। अतः आवेदकगण की भूमि हस्तांतरण में दिखाई जा रही उदासीनता के आलोक में वाद की कार्रवाई स्थगित की जाती है।

Devi
30.1.18
भूमि सुधार उप समाहर्ता
पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

३०.१.१८